






FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
सोहन व अन्य बनाम अक्षय कुमार व अन्य
 किस्म मुकदमा 1/5 021 R. 58, धारा 47, 151 CrP नं. 20/2016 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/16	<p>वकील शर्मा हाजिर। जांच रिपोर्ट हो गयी है। शर्मा पत्र दर्ज रजिस्टर है। उपखण्ड की तलबी देव मोडिस जारी है। पत्रावली दिनांक 27/4/16 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर) </p>	
27/4/16	<p>व.कु. फरी.उप./पी.ओ. साहब <u>अजमेर</u> पधार है। अतः पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु <u>4/5/16</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
4/5/16	<p><u>अन्य कार्य में व्यस्त</u> व.कु. फरी.उप./पी.ओ. साहब पधार है। अतः पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु दि. <u>20/6/16</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
20-6-16	<p>प्राथी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/ अनुपस्थित, प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करण हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक <u>20/6/16</u> को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर) </p>	
20/6/16	<p>उकरोण को लोक अदालत - माप कार्य हेतु उक्त प्रकाशत रुप रिप्लायनी पर पेश हुआ। उकरोण के संबंधित उसी विषय वस्तु एवं इसी पक्षकारों के मध्य इजराया से 01/05 उरुवानी अक्षय कुमार बनाम मेवा से लम्बित है। उक्त यह पत्रावली इजराया के अंतर्गत 20/6/16 को लोक अदालत में पेश किया गया। मिलात के फल शर्मा</p>	<p>मैं इस हुक्म को मैं समझे की प्रतिकार नहीं करता।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

